एक नजर में

युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

इंदौर : लसूड़िया थाना क्षेत्र के बापू गांधी नगर में युवक कृष्णा पुत्र बलिराम भालेराव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन ने आरोप लगाया कि मृतक की पत्नी की दोस्ती खरगोन के खामखेड़ा निवासी युवक से थी। इस पर दोनों में विवाद चल रहा था। कुछ समय पहले खरगोन में विवाद के दौरान कृष्णा से मारपीट की गई थी। -नप्र

ब्याज के नाम पर बाइक छीनी

इंदौर : राऊ थाना क्षेत्र के रंगवासा में ब्याज को लेकर दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित मनीष ने बताया कि दो माह अजय से 20 हजार रुपये उधार लिए थे। वह 19 हजार रुपये पहले दे चुका है। बावजूद वह ब्याज सहित अतिरिक्त रकम देने का दबाव बना रहा था। शनिवार को अजय साथियों के साथ आया और विवाद करने लगा। -नप्र

गर्मी के तेवर... अप्रैल में ही साथ छोड़ने लगे तालाब, यशवंत सागर का जलस्तर 13 .6 फीट पर पहुंचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : गर्मी के तेवर तीखे होते ही शहर के जलस्रोत साथ छोड़ने लगे हैं। जिन क्षेत्रों में नर्मदा लाइन अब तक नहीं पहुंची है, उन क्षेत्रों में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि ये क्षेत्र बोरिंगों पर निर्भर हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही बोरिंग सूखने लगे हैं। नगर निगम टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई की बात तो कर रहा है, लेकिन वर्तमान में 280 टैंकर ही सड़कों पर दौड़ रहे हैं जबकि मांग इससे कहीं ज्यादा है।

गर्मी तीखी होते ही शहर के तालाबों का जलस्तर घटने लगा है। शहर को 30 एमएलडी पानी रोजाना उपलब्ध कराने वाले यशवंत सागर का जलस्तर छह फीट कम होकर 13.6 पर आ गया है। छोटी लिंबोदी, लिंबोदी तालाब तो पूरी तरह से सूख चुके हैं। जल संकट से निपटने के लिए अब नगर निगम डायरेक्ट सप्लाई वाले 80 से ज्यादा पाइंट बंद करने की तैयारी कर रहा है।

छोटा बिलावली तालाब अप्रैल माह में ही खाली हो गया है। ● नईदुनिया

ज्यादातर बोरिंग बंद, जो चल रहे हैं उनमें आ रहा दूषित पानी : औद्योगिक क्षेत्रों से सटे रहवासी क्षेत्रों में गंभीर जलसंकट है। जिन क्षेत्रों में नर्मदा लाइन नहीं है, वहां के ज्यादातर बोरिंग या तो सूख चुके हैं या उनमें गंदा पानी आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों से निकलने वाला दूषित जल जमीन में उतरकर बोरिंग से आने वाले पानी को दूषित कर रहा है। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी की वजह से 36 मौत हो चुकी हैं, बावजूद इसके निगम खुले में दूषित पानी बहाने वाले उद्योगों के खिलाफ सख्ती नहीं कर रहा। यदा-कदा इक्का-दुक्का कार्रवाई कर खानापूर्ति कर ली जाती है।

भागीरथपुरा में 80 प्रतिशत काम पूरा : नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार भागीरथपुरा क्षेत्र के 80 प्रतिशत हिस्से में पानी की लाइन बदलकर जलापूर्ति बहाल कर दी गई है। शेष हिस्से में भी काम तेजी से चल रहा है। वर्षाकाल से पहले इसे भी पूरा कर लिया जाएगा।

तालाबों के आसपास के क्षेत्र में राहत : अच्छी बात यह है कि मध्य क्षेत्र और तालाबों के आसपास की कालोनियों में अब भी बोरिंग पर्याप्त पानी दे रहे हैं। यही वजह है कि मध्य क्षेत्र में अब तक टैंकरों की आवाजाही नजर नहीं आ रही। हालांकि बड़ा बांगड़दा, छोटा बांगड़दा, कुमेड़ी, सुदामा नगर, द्वारकापुरी सहित कुछ क्षेत्रों में जलसंकट नजर आ रहा है।

यह है वर्तमान स्थिति

तालाब	क्षमता (फीट में)	वर्तमान स्थिति (फीट में)
यशवंत सागर	19.4	13.6
बड़ा बिलावली	34	11.11
छोटा बिलावली	12	00
बड़ा सिरपुर	16	11.1
पीपल्यापाला	22	8.3
लिंबोदी	16	00

अधिकारियों ने किया तालाबों का निरीक्षण

लगातार गिरते तालाबों के जलस्तर ने अधिकारियों की भी नींद उड़ा दी है। निगमायुक्त ने शहर के तालाबों का निरीक्षण किया। उन्होंने लिंबोदी, बिलावली, सिरपुर और अन्य तालाबों का निरीक्षण किया। इन तालाबों में अमृत 2.0 योजना के तहत गहरीकरण और अन्य विकास कार्य चल रहे हैं। निगमायुक्त ने कार्य की गति बढ़ाने और इसे समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

टायर फटने से पलटी दूल्हे की कार, महिला की मौत

एबी रोड पर हादसे में क्षतिग्रस्त हुई कार। ● सौजन्य पुलिस

- एबी रोड पर देवास-मक्सी के बीच बरखेड़ा फाटा क्षेत्र में हुआ हादसा
- कार में दूल्हे सहित स्वजन व रिश्तेदार थे सवार

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास : पचोर क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे इंदौर के लोगों की कार देवास-मक्सी के बीच बरखेड़ा फाटा क्षेत्र में सोमवार सुबह टायर फटने से पलट गई। हादसे में सात लोग घायल हो गए और चीख-पुकार मच गई। कार सवार दूल्हे सहित अन्य लोग जिन्हें कम चोट लगी थी। उन्होंने व राहगीरों ने घायलों को कार से निकाला। घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डाक्टर ने जांच करके एक महिला को मृत घोषित कर दिया।

टोंककला पुलिस चौकी प्रभारी रमनदीप हुंदल ने बताया कि टायर फटते ही कार असंतुलित हो गई थी और सड़क से उतरकर खेत की ओर पलट गई थी। जिला अस्पताल के अनुसार हादसे में 50 वर्षीय निर्मला साहू की मौत हुई है। वहीं हर्ष साहू, 10 वर्षीय जानवी, माखन साहू, कृष्णा साहू, छह वर्षीय आर्यन, ढाई वर्षीय आदर्श, मंजू साहू घायल हुए हैं। कार सवार लोग इंदौर के कुशवाह नगर निवासी परिवार व उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम किया है, वहीं टोंकखुर्द पुलिस हादसे की जांच कर रही है। हादसे में सभी घायलों का प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल में किया गया। इसके बाद सभी घायल इंदौर ले जाए गए। हादसे में घायल माखन साहू ने बताया जानवी सहित दो अन्य को इंदौर में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। हादसे में मृत निर्मला हमारी रिश्तेदार थीं।

सड़क हादसों से इंदौर बेहाल, पांच साल में 2500 से अधिक मौतें

नहीं लग रहा अंकुश ● शहरी क्षेत्र में हादसे अधिक, ग्रामीण क्षेत्रों में मौतें तेजी से बढ़ीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर किए जा रहे तमाम दावों के बावजूद हादसों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पिछले पांच वर्षों (2021 से 2025) के दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में 2500 से अधिक लोगों की जान सड़क हादसों में जा चुकी है। वहीं 17 हजार से अधिक लोग घायल भी हुए। हाल ही में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि हादसों की संख्या जहां शहर में ज्यादा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये हादसे ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं। 2026 की शुरुआत भी राहत भरी नहीं है।

इंदौर में सवा साल में सड़क सुरक्षा समिति की 15 बैठकें हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के बाद बीते दिनों सदस्य संजय बंदोपाध्याय भी बैठक ले चुके हैं। बावजूद ब्लैक स्पाट में सुधार नहीं हो पा रहा। वहीं निर्माण कार्यों वाले क्षेत्रों में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश के बावजूद सुधार नहीं हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार इंदौर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पिछले पांच सालों में 24086 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और इसमें 2506 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 17899 लोग घायल हुए। पांच साल में शहरी क्षेत्र में 17424 दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 1348 लोगों ने जान गंवाई, वहीं 14063 घायल हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में पांच साल में 6664 हादसे हुए और 1158 लोगों की मौत हुई और 3836 लोग घायल हुए।

क्यों जानलेवा बन रहे ग्रामीण हादसे : आंकड़ों से दिखता है कि गांव और हाईवे पर होने वाले हादसे ज्यादा घातक हैं। 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों में 349 लोगों की मृत्यु हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के जानलेवा हादसों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जानकार इसके लिए तेज रफ्तार और खुले हाईवे, भारी वाहनों की अधिक आवाजाही, इलाज में देरी और आपातकालीन सेवाओं की कमी को मौत के बढ़ते आंकड़ों को जिम्मेदार मान रहे हैं।

ब्लैक स्पाट पर 230 लोगों की गई जान : शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 31 ब्लैक स्पाट हैं। जहां तीन साल में 282 हादसे हुए हैं और 230 लोगों की मौत हो चुकी है। शहरी क्षेत्र में 16 ब्लैक स्पाट में बीते तीन साल में 116 हादसे हुए और 117 लोगों की जान चली गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के 15 ब्लैक स्पाट पर 166 हादसे हुए और 113 लोगों की मौत हुई। इसमें लव कुश चौराहा, देवास नाका चौराहा, बायपास के कई पाइंट, एबी रोड अर्जुन बड़ोद, एबी रोड भेरूघाट, ग्राम माचल इंदौर-अहमदाबाद रोड प्रमुख ब्लैक स्पाट हैं।

सुधार के दावे, लेकिन काम अधूरा

- बायपास पर संकेतक नहीं लग पाए
- बायपास पर लाइटिंग की व्यवस्था अधूरी
- फ्लाईओवर का निर्माण समय सीमा के बाद जारी
- हाईमास्ट लाइट और स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए
- रोड मार्किंग नहीं और सड़क के कट को बंद नहीं किया
- सर्विस रोड चौड़ीकरण और स्थायी डिवाइडर जैसे बड़े काम अभी अधूरे हैं।

दुर्घटनाएं ज्यादा, मौतों का आंकड़ा स्थिर

वर्ष	दुर्घटनाएं	मृतक	घायल
2021	2618	211	2263
2022	3317	264	2749
2023	3566	257	2806
2024	3488	290	2606
2025	3502	262	2815
2026	933	64	824
कुल	17424	1348	14063

ग्रामीण इलाकों में हादसे कम, मौतें अधिक

वर्ष	दुर्घटनाएं	मृतक	घायल
2021	1069	155	515
2022	1372	212	674
2023	1403	214	669
2024	1386	228	809
2025	1434	349	1169
कुल	6664	1158	3836

आरओबी निर्माण के लिए केसरबाग क्रासिंग बंद

रेलवे क्रांसिग बंद होने से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। ● नईदुनिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: रविवार रात केसरबाग चौकी स्थित रेलवे क्रासिंग को रेल ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण के चलते बंद कर दिया गया है। इस कारण सोमवार सुबह से ही वाहन चालक परेशान होते नजर आए। अब वाहन चालकों को तीन से चार किमी घूमकर दशहरा मैदान, अन्नपूर्णा मंदिर होते हुए केसरबाग ब्रिज होकर ही आवागमन करना पड़ रहा है। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार ओवरब्रिज के निर्माण के कारण आगामी 18 महीने (डेढ़ साल) के लिए केसरबाग रोड पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

केसरबाग रोड स्थित न्यू कपड़ा बाजार के सामने लोहे के पतरे लगाकर मार्ग बंद कर दिया गया है। वहीं, विनय नगर से अन्नपूर्णा मंदिर की पीछे खाली पड़ी जमीन से वाहन चालक अन्नपूर्णा रोड पहुंच सकते हैं। विनय नगर के रहवासियों ने मनमर्जी करते हुए अन्नपूर्णा मंदिर खाली पड़ी जमीन के मार्ग को मिट्टी की दीवार बनाकर बंद कर दिया है। इस कारण वाहन चालक परेशान हो रहे हैं।

ये कालोनियों के वाहन चालक परेशान : केसरबाग रोड, स्कीम नंबर 103, अमितेषनगर, नेमी नगर, नालंदा परिसर, बिजलपुर, शिव सिटी, सिलिकान सिटी, निहालपुर मुंडी गांव, राऊ सहित अन्य आसपास की दो दर्जन से ज्यादा कालोनियों के वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ेगी।

ओवरब्रिज का फायदा

ब्रिज बनने के बाद वाहन चालकों को काफी फायदा होगा। पिछले कई सालों से केसरबाग रेलवे फाटक पर सुबह से रात तक जब भी ट्रेन निकलती थी, हर बार जाम लग जाता था। यह क्रासिंग काफी संकरी थी। आसपास के निवासियों एवं वाहन चालकों द्वारा लगातार ओवरब्रिज की मांग की जा रही थी।

डेली कालेज में भाजपा का आयोजन 22 अप्रैल को, पूर्व सीएम ने पत्र लिखकर जताई आपत्ति

राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए परिसर का उपयोग चिंताजनक

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : डेली कालेज में 22 अप्रैल से भाजपा के सात राज्यों के नेताओं के प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने डीसी बोर्ड के प्रेसिडेंट को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। उन्होंने लिखा कि परिसर का भाजपा व उससे जुड़े राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए बार-बार उपयोग हो रहा है। इससे डेली कालेज की प्रतिष्ठा, निष्पक्षता और संस्थागत स्वतंत्रता को गंभीर क्षति पहुंच रही है।

एक संरक्षक के रूप में यह पत्र अत्यंत क्षोभ, निराशा, पीड़ा और गहरी

चिंता के साथ लिख रहा हूं। मैं अत्यंत कड़े शब्दों में डेली कालेज परिसर, नाम, प्रतिष्ठा और भौतिक प्रांगण का उपयोग भाजपा, संघ व उनसे संबद्ध राजनीतिक तंत्र से जुड़े कार्यक्रमों के लिए किए जाने की निंदा करता हूं। डेली कालेज कोई साधारण संपत्ति नहीं है। सितंबर-2025 के आसपास डेली कालेज के परिसर और प्रवेश द्वारों पर भगवा झंडे, बैनर व अन्य ऐसी दृश्य सामग्री लगी दिखाई दी थी, जो सत्ताधारी व्यवस्था से जुड़े किसी राजनीतिक कार्यक्रम से संबंधित थी। यह बार-बार होने वाली घटनाएं, जब एक साथ देखी जाती हैं, तो यह चिंताजनक आभास देती हैं कि स्कूल को एक स्वतंत्र शिक्षण संस्थान, विरासत और सार्वजनिक विश्वास के केंद्र के रूप में संरक्षित रखने के बजाय, धीरे-धीरे खुले तौर पर राजनीतिक प्रतीकों और उपयोग में घसीटा जा रहा है।

140 वर्ष की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहना जरूरी

दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि सरकारें अस्थायी होती हैं, राजनीतिक व्यवस्था बदलती रहती है, लेकिन 140 वर्ष से भी अधिक पुरानी इस प्रतिष्ठित और अग्रणी शैक्षणिक संस्था की गरिमा, निष्पक्षता और स्वतंत्र स्वरूप हर समय सुरक्षित रहना चाहिए। भाजपा और उससे जुड़े सहयोगी संगठनों के कार्यक्रमों के लिए इस परिसर का बार-बार किया जा रहा उपयोग चिंताजनक है।

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय, धार (म.प्र.)

:: सार्वजनिक सूचना ::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार अंतर्गत दिनांक 18.04.2026 से 30.04.2026 को सायं 05:30 बजे तक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, के अनुदान अंतर्गत बहुउपयोगी वाहन के लिए संविदा आधार पर एक वाहन चालक की नियुक्ति हेतु आवेदन फार्म आहूत किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई है।
अर्हताधारी अभ्यर्थी उक्त पद हेतु आवेदन फार्म दिनांक 30.04.2026 को सायं 05:30 बजे के पूर्व तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार में स्वयं या स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में जमा कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए सार्वजनिक सूचना एवं आवेदन का प्रारूप जिला न्यायालय धार की अधिकारिक वेबसाइट https://dhar.dcourts.gov.in पर उपलब्ध है।

(प्रदीप सोनी) सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जिला-धार (म.प्र.)

मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
(भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
भोपाल 462003 (म.प्र.) भारत

No/MANIT/Acad./2026/5053/1 दिनांक: 20/04/2026

पीएचडी प्रवेश सूचना

पीएचडी प्रवेश शैक्षणिक सत्र जुलाई 2026 के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम में आवेदन आमंत्रित किए जाते है:-

पीएचडी कार्यक्रम की पूर्णकालिक और अंशकालिक श्रेणियाँ नीचे दी गई है:-

A	पूर्णकालिक (FT)		सीटों की संख्या
A-1	FT-संस्थान	संस्थान फेलोशिप के साथ	200 सीटें
A-2	FT-JRF	NET/UGC/CSIR इत्यादि में फेलोशिप के साथ	सीटों की कोई सीमा नहीं
A-3	FT-स्व-वित्तपोषित	संस्थान फेलोशिप के बिना	34 सीटें
A-4	FT-प्रायोजित	संस्थान फेलोशिप के बिना	34 सीटें
A-5	FT-विदेशी	संस्थान फेलोशिप के बिना	सीटों की कोई सीमा नहीं

B	पार्ट टाइम (PT)		सीटों की संख्या
B-1	PT-संस्थान	संस्थान फेलोशिप के बिना	सीटों की कोई सीमा नहीं
B-2	PT-आंतरिक	संस्थान फेलोशिप के बिना	सीटों की कोई सीमा नहीं
B-3	PT-प्रायोजित	संस्थान फेलोशिप के बिना	सीटों की कोई सीमा नहीं
B-4	PT-प्रोजेक्ट	प्रोजेक्ट से फेलोशिप के साथ	सीटों की कोई सीमा नहीं

अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट 'www.manit.ac.in' और आवेदन पत्र के लिए 'https://online.manit.ac.in/admission' देखें।
विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि **20.05.2026** है।

निदेशक

मंथन आइसीएआइ के सेमिनार में बोले विशेषज्ञ वक्ता

आर्थिक सूचना पर आयकर प्रकरणों का कर रहा पुनर्मूल्यांकन, छह साल के रिटर्न की जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : आयकर तमाम करदाताओं के रिटर्न का पुनर्मूल्यांकन (रिअसेसमेंट) कर रहा है। इसके आधार में उस करदाता के वित्तीय व्यवहारों की सूचना सबसे अहम कारण है। इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आइसीएआइ) इंदौर शाखा ने सोमवार को आयकर प्रकरणों के पुनर्मूल्यांकन पर चर्चा की। जाल सभागृह में आयोजित एक महत्वपूर्ण सेमिनार में विशेषज्ञ वक्ता के रूप में आइसीएआइ की केंद्रीय परिषद के सदस्य सीए पंकज शाह, सीए महेश अग्रवाल और अधिवक्ता सुमित नेमा ने प्रविधानों को बारीकी से समझाया।

सीए शाह ने कहा कि पुराने एवं नए आयकर कानून के तहत किसी भी केस को पुनः खोलने का मुख्य आधार "सूचना" है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि विभाग द्वारा उपयोग में लाई जा रही सूचना की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि करदाता को नोटिस का विधिवत जारी होना तथा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होता तो आयकर की कार्रवाई पर

जाल सभागृह में आयोजित सेमिनार में संबोधित करते सीए। ● सौजन्य

कानूनी सवाल खड़े किए जा सकते हैं। आयकर सर्च से जुड़े मामलों पर उन्होंने कहा कि पुनर्मूल्यांकन केवल ठोस दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। यदि किसी तीसरे व्यक्ति का बयान करदाता की अनुपस्थिति में दर्ज किया गया है, तो करदाता को उस व्यक्ति के क्रास-एग्जामिनेशन का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। अचल संपत्ति लेन-देन के संदर्भ में उन्होंने बताया कि गाइडलाइन वैल्यू से कम मूल्य पर हुए सौदों पर विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हालांकि, यदि संपत्ति लीजहोल्ड है, प्रतिकूल कब्जे में है या अन्य प्रकार की बाधाओं से ग्रस्त है, तो ऐसे मामलों में कराधान सीधे लागू नहीं किया जा सकता। सीए महेश अग्रवाल ने सर्च मामलों में नए प्रविधानों की जानकारी देते हुए कहा कि अब ब्लाक असेसमेंट के तहत पिछले छह वर्षों के मामलों को एक साथ खोला जाता है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता सुमित नेमा ने हाल के न्यायिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि एक अप्रैल 2021 से पूर्व तृतीय पक्ष सर्च के मामलों में सेक्शन 153सी को सेक्शन 148 पर वरीयता दी गई है, जिसे बांबे हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है। सेमिनार को सीए ब्रांच के चेयरमैन समकित भंडारी, सचिव नारायण सोमानी ने भी संबोधित किया।

Bank of India रिश्तों की जमापूंजी Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालय : स्टार हाउस, प्लॉट 9-आरसी, स्कीम नं. 134, एम.आर.-10, स्टार चौराहे के पास, इन्दौर - 452010, फोन 2445122-117-147

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

आल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाले/जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्ति जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी/प्रभारित है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है''** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणी एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंड़िया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 08.05.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमश: दी गई है।

ई-नीलामी दिनांक 08.05.2026 को प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्ती का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रू.) (6)	ईएमडी (7)
शाखा एआरबी इन्दौर	**मेसर्स डायमंड बेवरेजेस,** **पता:-** 55-बी आर गोयल इंडस्ट्रियल पार्क, मालीखेड़ी-नेमावर रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश 452007 **पार्टनर : 1. श्री अजय कुमार जैन पिता श्री कैलाश चंद्र जैन , 2. श्रीमती निशा जैन पति श्री अजय कुमार जैन , 3. श्री अनीष कुमार जैन जैन पिता श्री अजय कुमार जैन, सभी का पता: 1,** नरसिंहगढ़ कोठी, गुलमर्ग वैली बी ब्लॉक, फ्लेट नंबर 301, कनाडिया रोड, इंदौर म.प्र. 452016 **जमानतदार : मेसर्स डायमंड इंफ्रास्टेक्चर प्रोप्रा श्री अजय कुमार जैन,** **पता1-** 203, नार्थ राजमोहल्ला, इंदौर म.प्र. 452002, **पता2-** 1, नरसिंहगढ़ कोठी, गुलमर्ग वैली बी ब्लॉक, फ्लेट नंबर 301, कनाडिया रोड, इंदौर म.प्र. 452016	संपत्ति समस्त भू भाग व अंश प्लॉट नं. 02 , भूमि सर्वे नं. 236 एवं 237/1 , ग्राम राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) पर स्थित, **क्षेत्रफल : 1000 वर्ग फीट, चतुर्सीमा : पूर्व :** रोड़ , **पश्चिम :** प्लॉट नं. 31, **उत्तर :** प्लॉट नं. 03, **दक्षिण :** प्लॉट नं. 01, **संपत्ति मालिक : मेसर्स डायमंड इंफ्रास्टेक्चर (जमानतदार) प्रोप्रा. श्री अजय कुमार जैन ,**	06.04.2021 **₹ 1,85,92,703.30** + ब्याज एवं अन्य खर्च	16.11.2021 सांकेतिक	₹ **8.62** लाख	₹ **0.87** लाख
		संपत्ति समस्त भू भाग व अंश प्लॉट नं. 03 , भूमि सर्वे नं. 236 एवं 237/1 , ग्राम राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) पर स्थित, **क्षेत्रफल : 1000 वर्ग फीट, चतुर्सीमा : पूर्व :** रोड़ , **पश्चिम :** प्लॉट नं. 30, **उत्तर :** प्लॉट नं. 04, **दक्षिण :** प्लॉट नं. 02, **संपत्ति मालिक : मेसर्स डायमंड इंफ्रास्टेक्चर (जमानतदार) प्रोप्रा. श्री अजय कुमार जैन**			₹ **8.62** लाख	₹ **0.87** लाख
		संपत्ति समस्त भू भाग व अंश व्यावसायिक शॉप भूमि सर्वे नं. 236 एवं 237/1 ग्राम राजगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार (म.प्र.) पर स्थित, **क्षेत्रफल : 5381 वर्ग फीट, चतुर्सीमा : पूर्व :** अन्य भूमि, **पश्चिम :** रोड़, **उत्तर :** पार्क, **दक्षिण :** रोड़, **संपत्ति मालिक : मेसर्स डायमंड इंफ्रास्टेक्चर (जमानतदार) प्रोप्रा. श्री अजय कुमार जैन**			₹ **51.88**	₹ **5.19**

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://baanknet.com** बोलीकर्ता **https://baanknet.com**, नियम व शर्तो की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है। नीलामी से संबंधित सभी जानकारी ई-नीलामी दिनांक से पहले ही प्राप्त कर लेने की सभी जवाबदारी बोलीकर्ता की रहेगी।
ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।
बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।
सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन के भीतर जमा किया जाना होगा।
डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।
इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू 1% की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म **16B** में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते मे आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोडने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक : 21.04.2026, स्थान: इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इंडिया